छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1025/2012

याचिकाकर्ता	चितरंजन दास
	बनाम
प्रतिवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1026/2012

याचिकाकर्ता	नरेंद्र सिंह बघेल
	बनाम
प्रतिवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1027/2012

याचिकाकर्ता	महेंद्र सिंह साहू
	बनाम
प्रतिवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 737/2012

याचिकाकर्ता	बुधवार सिंह सिदार
	बनाम
प्रतिवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 738/2012

याचिकाकर्ता **तीरथ प्रसाद जायसवाल**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 763/2012

याचिकाकर्ता **थान सिंह बैस**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 764/2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता **सुखलाल मनकर**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 767/2012

याचिकाकर्ता **घनश्याम सिंह**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 785/2012

याचिकाकर्ता **सतीश तिवारी**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 797/2012

याचिकाकर्ता **राम सेवक सोनी**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 800/2012

याचिकाकर्ता **बशीरुद्दीन गोरी**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 802/2012

याचिकाकर्ता **हीरालाल देवांगन**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 853/2012

याचिकाकर्ता **मीला लाल कुलमित्रा**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 870/2012

याचिकाकर्ता **अम्बिका प्रसाद शर्मा**

बनाम

प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 871/2012

याचिकाकर्ता मानीराम साहू

बनाम

प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 895/2012

याचिकाकर्ता दीपक कुमार तिवारी

बनाम

प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 897/2012

याचिकाकर्ता सुरेन्द्र नाथ जोन

बनाम

प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 898 / 2012

याचिकाकर्ता मथुरा प्रसाद पाण्डेय

बनाम

प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 899/2012

याचिकाकर्ता	**कमल साई देवांगन**
	बनाम
प्रतिवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 900/2012

याचिकाकर्ता	**लखन लाल यादव**
	बनाम
प्रतिवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 901/2012

याचिकाकर्ता	**वीरेंद्र कुमार सिन्हा**
	बनाम
प्रतिवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 902 सन् 2012

याचिकाकर्ता	**वीरेंद्र कुमार पाण्डेय**
	बनाम
प्रतिवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 903 सन् 2012

याचिकाकर्ता — सुनील चन्द्र आचार्य

बनाम

प्रतिवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 904 सन् 2012

याचिकाकर्ता — सुशील कुमार पाण्डेय

बनाम

प्रतिवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 906 सन् 2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता — खोजेश्वर प्रसाद आर्य

बनाम

प्रतिवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 926 सन् 2012

याचिकाकर्ता — नन्हूराम सारथी

बनाम

प्रतिवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 927 सन् 2012

याचिकाकर्ता — शिवनंदन साहू

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 929 सन् 2012

याचिकाकर्ता **घनश्याम धीमर**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 930 सन् 2012

याचिकाकर्ता **संकेश्वर सिंह ठाकुर**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 941 सन् 2012

याचिकाकर्ता **परमानंद कौशिक**

बनाम

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित – श्री सौरभ डांगी, श्री प्रतीक शर्मा, श्री शशांक ठाकुर, श्री ए. एन. पाण्डेय, श्री विवेक शर्मा, श्री ए के प्रसाद, श्री पी पी साहू अधिवक्तागण याचिकाकर्ता की ओर से |

श्री वाई एस ठाकुर उप महाधिवक्ता के साथ अरुण साव शासकीय अधिवक्ता और श्री ए वी श्रीधर पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से |

आदेश

(दिनांक 29.2.2012 को पारित)

1. चूँकि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1025, 1026, 1027, 737, 736, 763, 764, 767, 785, 797, 800, 802, 853, 870, 871, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 906, 926, 927, 929, 930 और 941 सन 2012 इन सभी याचिकाओं में समान तथ्य एवं आधार सम्मिलित हैं, अतः इन्हें इस समान आदेश द्वारा विचारित एवं निराकृत किया जा रहा है।
2. इन याचिकाओं द्वारा याचिकाकर्तागण दिनांक 31.01.2012 के उस आदेश की वैधता एवं विधिसंगतता को चुनौती दे रहे हैं, जो प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया, जिसके माध्यम से राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत याचिकाकर्तागण का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया।
3. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 31.01.2012 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 08.08.2011 के ज्ञापन का पालन नहीं किया गया, जिसमें यह उपबंधित था कि किसी कर्मचारी का आपात स्थिति में ही स्थानांतरण मुख्य सचिव के समन्वय से तथा मुख्यमंत्री की स्वीकृति पर किया जा सकता है।
4. विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूँकि कोई कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्तागण के स्थानांतरण हेतु कोई प्रशासनिक आवश्यकता थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13.06.2011 की स्थानांतरण नीति के अनुसार वर्ग–III एवं वर्ग–IV

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मचारियों का स्थानांतरण, प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के उपरांत कलेक्टर की संस्तुति पर, जिले के भीतर ही किया जा सकता है। राजस्व निरीक्षक निर्विवाद रूप से वर्ग–III कर्मचारी हैं। अंततः याचिकाकर्तागण यह भी प्रतिपादित करते हैं कि कुल स्वीकृत पदसंख्या के 10% से अधिक कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, जबकि वर्तमान प्रकरण में 10% से अधिक राजस्व निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध है और रद्द किए जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि स्थानांतरण नीति मात्र दिशा-निर्देश है, जिसका कोई बंधनकारी या वैधानिक प्रभाव नहीं है। ये दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी राज्य कर्मचारियों का मनमाने एवं अविवेकपूर्ण तरीके से स्थानांतरण न करें। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थानांतरण के मामलों में कारण बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण सेवा की एक सामान्य शर्त है और इसमें कोई दंडात्मक तत्व सम्मिलित नहीं होता। कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्थान पर पदस्थ करना राज्य का अधिकार है। अपने कथन के समर्थन में राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भरत संघ **बनाम एस एल अब्बास**[1] तथा **उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गोबर्धन लाल**[2] के निर्णयों पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर संलग्न निवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.06.2011 की स्थानांतरण नीति में वर्ग-III एवं वर्ग-IV कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिनके अनुसार प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के उपरांत कलेक्टर द्वारा जिले के

---

[1] 1993 4 एस सी सी 357

[2] 2004 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 2082

भीतर स्थानांतरण किया जा सकता है। उक्त नीति में यह भी उपबंधित है कि कुल स्थानांतरण 10% से अधिक नहीं हो सकते। तत्पश्चात, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.08.2011 का ज्ञापन जारी कर उक्त स्थानांतरण नीति को स्पष्ट किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी स्थानांतरण को प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में, मुख्य सचिव के समन्वय से तथा मुख्यमंत्री की स्वीकृति पर किया जा सकता है।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि स्थानांतरण नीति सभी प्राधिकारियों पर बंधनकारी है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक एक सिविल पद धारण करते हैं और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन आते हैं। राज्य सरकार नियोक्ता होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए सेवा नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने की अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ऐसा कोई वैधानिक उपबंध या नियम प्रस्तुत या इंगित नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि सेवा नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार को किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करने से रोका गया है। अतः किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार में निहित है। निर्देश एवं नीतियाँ राज्य सरकार की शक्तियों को किसी भी प्रकार सीमित, प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं कर सकतीं। इसलिए न्यायालय स्थानांतरण के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक आदेश दुर्भावना से पारित न किया गया हो, या वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, अथवा आदेश पारित करने वाली प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से परे न हो।

10. आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पारित किया गया

है। अतः राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त आदेश को किसी भी आधार पर दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।

11. अतिरिक्त रूप से, याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एम.पी./सी.जी. भूमि अभिलेख नियमावली के अंतर्गत नियम 20 के तहत राजस्व निरीक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हेतु भू अभिलेख निदेशक को अधिकृत किया गया है। अतः राज्य सरकार उक्त आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

12. याचिकाकर्ता की उपर्युक्त तर्क केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि प्रथम, याचिकाकर्ता सिविल पद धारण करते हैं, और किसी सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति के मामले में आदेश पारित करने हेतु राज्य उपयुक्त प्राधिकारी है। भले ही नियमों के अंतर्गत शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रदान की गई हो, अथवा अनुशासनात्मक अथवा सक्षम प्राधिकारी कनिष्ठ अधिकारी हो, तब भी वरिष्ठ प्राधिकारी सदैव आदेश पारित कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ***सम्पूर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य***[3] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "**संविधान के अनुच्छेद 311(1)** के परिप्रेक्ष्य में, पद से हटाने वाला प्राधिकारी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से पदक्रम में अधीनस्थ नहीं हो सकता। आवश्यक निहितार्थ यह है कि हटाने वाला प्राधिकारी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से उच्च पदक्रम का हो सकता है।"

14. उपर्युक्त विधि सिद्धांत, जिसे *सम्पूर्ण सिंह* (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित किया गया, का उल्लेख एवं पुनरुल्लेख ***आँध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम एन रामानैः***[4] मे◌ं भी किया गया है।

15. वर्तमान प्रकरणों में यह याचिकाकर्तागण का मामला नहीं है कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावना से किया गया है। न ही याचिकाकर्तागण द्वारा यह आरोप लगाया गया

[3] (1982) 3 एस.सी.सी 200
[4] (2009) 7 एस.सी.सी 165

है कि आदेश पारित करने वाला अधिकारी उक्त आक्षेपित आदेश पारित करने हेतु सक्षम नहीं था अथवा आक्षेपित आदेश वैधानिक नियमों एवं विनियमों के प्रतिकूल है।

16. जैसा भी हो, यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि स्थानांतरण/पदस्थापन सेवा की एक सामान्य शर्त है। न्यायालय को स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसमें दुर्भावना न हो या वैधानिक नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन न हुआ हो। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता उपर्युक्त किसी भी आधार को स्थापित करने में असफल रहे हैं। स्थानांतरण/पदस्थापन के कारण यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उस पर किसी अन्य कर्मचारी को पदस्थ किया जा सकता है। अतः आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(देखें — ***ई.पी रोयाप्पा बनाम तमिल नाडु राज्य एवं अन्य***[5], ***शिल्पी बोस (श्रीमती.) एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य***[6], ***म.प्र राज्य एवं अन्य बनाम एस एस कौरव एवं अन्य***[7], ***मो. मसूद अहमद बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य***[8], ***मुख्य वाणिज्यिक प्रभान्दक, साउथ सेन्ट्रल रेलवे, सेचुन्दराबाद एवं अन्य बनाम जी रतनाम एवं अन्य*** [9] **तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** ***बनाम राजीव रतन पाण्डेय एवं अन्य***[10].

17. स्थापित विधि सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर, इन याचिकाओं में कोई बल नहीं पाया जाता।

18. उपर्युक्त के आलोक में, ये याचिकाएँ गुण-दोष रहित होने के कारण खारिज की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[5](1974) 4 एससीसी 3

[6] (1991) एसूप्प 2 एस.सी.सी 659

[7] (1995) 3 एसी.सीसी 270

[8] (2007) 8 एस.सी.सी 150

[9] (2007) 8 एस.सी.सी 212

[10] (2009) 8 एस.सी.सी 337

19.इस चरण पर, याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कुछ प्रकरणों में याचिकाकर्तागण के नाम, पदस्थापन स्थान आदि का सही उल्लेख नहीं किया गया है। इस त्रुटि के संबंध में याचिकाकर्ता आवश्यक आदेश हेतु संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पृथक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी विधि के अनुसार तथा अपने स्वतंत्र गुण-दोष के आधार पर, दो सप्ताह की अवधि के भीतर उस पर विचार कर निर्णय लेंगे।

20.व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA ADV.